समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

✆ : 2529540-2527532
✉ : rgistrar.davv@mp.gov.in
तार : यूनिवर्सिटी
फेक्स : 0731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

क्रमांकः सं.वि.क. / "छात्र कल्याण कोष" / शुल्क–वृद्धि / 2025–26 / 611 दिनांक : 28 JAN 2026

प्रति,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त संबद्ध शासकीय / निजी / स्वशासी महाविद्यालय,
जिला इंदौर / धार / झाबुआ।

विषय :–माननीय कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार "छात्र कल्याण कोष" में वृद्धित राशि एकत्रित कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करने बाबत।

संदर्भ :–विषयांतर्गत जारी किये गये विश्वविद्यालय के सूचना –पत्र क्रमांक :परीक्षा / शुल्क / 2025 / 787 दिनांक 30 दिसम्बर 2025।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयांतर्गत उल्लेखित मद "छात्र कल्याण कोष" में माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन उपरांत शैक्षणिक सत्र 2025–26 से वृद्धित राशि समस्त अध्ययनरत छात्रों से एकत्रित कर विश्वविद्यालय कोष में तत्काल जमा करने का कष्ट करें।

यहाँ उल्लेखनीय है कि, शैक्षणिक सत्र 2025–26 में विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि क्रमशः छात्र आर्थिक सहायता, विकलांग छात्र सहायता एवं छात्र दुर्घटना सहायता राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाना है।

अतः आगामी सत्र 2026–27 से आपके महाविद्यालय द्वारा उक्त वृद्धित राशि विद्यार्थियों से एकत्रित कर विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने के उपरांत ही उक्त योजनाओं में विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु अग्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में ही समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

संलग्नः संदर्भित सूचना–पत्र की छाया–प्रति।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

पृ. क्रः सं.वि.क. / "छात्र कल्याण कोष" / शुल्क–वृद्धि / 2025–26 / 611 दिनांक : 28 JAN 2026

1. परीक्षा नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
2. वित्त नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर प्रस्तुत कर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।
3. माननीय कुलगुरू / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता,
विद्यार्थी कल्याण